93396297
11-5-09

संख्या– 622/78–2–2009–8 आई0टी0/2009

A.DM.(E) कृपया NIC
कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा निर्देशों का अनुपालन करायें।
जिलाधिकारी
गाजियाबाद
11-5-2009

प्रेषक

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव
उ.प्र. शासन

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त, मेरठ, लखनऊ, गोररखपुर एवं फैजाबाद
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक 07 मई, 2009

विषयः नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के 6 जनपदों में कियान्वित की जा रही ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से जन शिकायतों के निष्तारण विषयक।

महोदय,

आप अवगत ही है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को नया आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान अन्तर्गत प्रदेश के 6 जनपदों में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का कियान्वयन किया जा रहा है। उक्त प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि पायलट जनपदों में प्रशासन की कार्य प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर इलेक्ट्रानिक का कार्य प्रणाली विकसित किया जाना है, जिससे प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता आ सके तथा जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सकें। उक्त के तारतम्य में शासनादेश संख्या–851/1–4–08–82बी–4/08, दिनांकः 17 अप्रैल, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा प्रदेश के 6 जनपदों गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर में पायलट आधार पर कियान्वित की जा रही ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना अन्तर्गत कतिपय सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान करते हुए परिषद स्तर से आवश्यकतानुसार विस्तृत गाइड लाइन्स निर्गत करने के निर्देश दिये गये है, जिनमें जनसामान्य को अपनी शिकायतें दर्ज कराने तथा उसका निस्तारण कर उसकी सूचना ई–डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपनी शिकायतें दर्ज कराने तथा शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त उसकी अद्यावधिक स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था होगी, जिसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः–

1– ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत शिकायतें उन्हीं विभागों/सेवाओं के लिये दर्ज होंगे जो कि इस परियोजना से संबंधित है। (राजस्व, नगरीय विकास, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, विकलांग कल्याण, पंचायतीराज, उद्योग विभाग, श्रम, ग्राम्य विकास प्रशासनिक सुधार) तथा उक्त विभागों द्वारा एक जनशिकायत अधिकारी/नोडल अधिकारी को तत्काल नामित कर उनकी सूचना को संबंधित जनपदों में जिलासूचना विज्ञान अधिकारी को अतिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाये, ताकि उसकी प्रविष्टि निर्धारित साफ्टवेयर में की जा सकें।

2– आवेदक को अपने निकटस्थ ई–डिस्ट्रिक्ट/कामन सर्विस सेंटर में जाकर निर्धारित शुल्क जमा करेगा, जिसकी रसीद आपरेटर द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

3– ई–डिस्ट्रिक्ट/कामन सर्विस सेंटर के आपरेटर संबंधित जनशिकायत अधिकारी को इलेक्ट्रानिकली प्रेषित कर देगा तथा हार्डकापी को संबंधित विभाग का उपलब्ध करा देगा।

4– संबंधित विभागों के जनशिकायत अधिकारी अपने विभाग के लिए जांच अधिकारी नियुक्ति करेंगे, जो कि प्राप्त शिकायतों की जांच करके अपनी जांच आख्या जनशिकायत अधिकारी के अनुमोदन के लिए कम्प्यूटर पर अपलोड करेंगे।

5— जनशिकायत अधिकारी जांच आख्या के आधार पर उस शिकायत का निस्तारण करेंगे तथा निस्तारण की रिपोर्ट को डिजिटल हस्ताक्षरित करके कम्प्यूटर पर अपलोड करेंगे, जो कि शिकायतकर्ता को ई–डिस्ट्रिक्ट/कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध हो जायेगी।

6— उक्त प्रकिया के द्वारा मात्र प्रकिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाते हुए उसका सरलीकरण किया गया है। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत शर्ते एवं अन्य नियम पूर्ववत रहेंगे।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्याः–122 (1)/78–2–2009 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. राज्य समन्वयक/सदस्य, एसईएमटी, सेंटर फार ई–गवर्नेन्स, यूपीडेस्को
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

(डी0 एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव